रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 263] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 22, 1975/आषाढ़ 31, 1897

No. 263] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 22, 1975/ASADHA 31, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 22nd July 1975

S.O. 369(E).—Whereas the President has by a notification published in the Gazette of India, on 22nd July, 1975, called upon the elected members of the Gujarat Legislative Assembly to elect three members to the Council of States;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints with respect to the said election:—

(a) 29 July, 1975 (Tuesday), as the last date for making nominations;

(b) 30 July, 1975 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) 1 August, 1975 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) 8 August, 1975 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) 12 August, 1975 (Tuesday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 318/GJ/75(1)].

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1975

का० आ० 369 (अ).—यत:, भारत के राजपत्र में तारीख 22 जुलाई, 1975 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राष्ट्रपति ने गुजरात राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से राज्य सभा के लिए तीन सदस्य निर्वाचित करने की अपेक्षा की है ;

अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन के बारे में :—

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख	29 जुलाई, 1975 (मंगलवार);
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	30 जुलाई, 1975 (बुधवार);
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	1 अगस्त, 1975 (शुक्रवार);
(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा	8 अगस्त, 1975 (शुक्रवार); और
(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा	12 अगस्त, 1975 (मंगलवार)

एतद्द्वारा नियत करता है।

[सं० 318/गुज०/75(1)]

S.O. 370(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 9.00 A.M. to 12.00 NOON as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken at the biennial elections to the Council of States in the State of Gujarat, to be held in pursuance of the notification under section 12 of the said Act, published in the Gazette of India on 22 July, 1975.

[No. 318/GJ/75(2)]

का० आ० 370 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, भारत के राजपत्र में उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन तारीख 22 जुलाई, 1975 को प्रकाशित राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में, गुजरात राज्य में राज्य सभा के लिए होनेवाले द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए 9 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे दोपहर तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा।

[सं० 318/गुज०/75(2)]

S.O. 371(E).—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Gujarat, hereby designates the Secretary, Gujarat Legislature Secretariat, Gandhinagar as the Returning Officer for the biennial elections to the Council of States to be held in the State of Gujarat in pursuance of the notification under section 12 of the said Act, published in the Gazette of India on the 22 July, 1975.

[No. 318/GJ/75(3)]

का० आ० 371 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग गुजरात राज्य सरकार के परामर्श से, उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन भारत के राजपत्र में तारीख 22 जुलाई, 1975 को प्रकाशित राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में, गुजरात राज्य में राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए सचिव, गुजरात विधान मण्डल सचिवालय, गांधीनगर, को रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा पदाभिहित करता है।

[सं० 318/गुज०/75(3)]

S.O. 372(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Deputy Secretary, Gujarat Legislature Secretariat, Gandhinagar, to assist the Returning Officer in the performance of his functions for the biennial election to the Council of States to be held in pursuance of the notification under section 12 of the said Act, published in the Gazette of India on 22 July, 1975.

[No. 318/GJ/75(4)]

By order,

A. N. SEN, Secy.

का० आ० 372 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन भारत के राजपत्र में तारीख 22 जुलाई, 1975 को प्रकाशित राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर की, उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए उप सचिव, गुजरात विधान मंडल सचिवालय, गांधीनगर, को एतद्द्वारा नियुक्ति करता है।

[सं० 318/गुज०/75(4)]

आदेश से,

ए० एन० सेन, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975